रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052024-254268
CG-DL-E-20052024-254268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2024/वैशाख 30, 1946
No. 263] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2024/VAISAKHA 30, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

सा.का.नि. 284(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी समूह 'क' पद भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2019 को, जहाँ तक उनका संबंध जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) और उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय में जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) और उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट), समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) और उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.—**इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, नियुक्ति और प्रोन्नति जिसके अंतर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

6. **वरिष्ठता.—** वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धातों के अनुसार अवधारित होगी अर्थात्:-

(i) किसी सारभूत हैसियत में नियुक्त कोई अधिकारी स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए अधिकारी से वरिष्ठ होगा;

(ii) किसी सारभूत हैसियत में किसी पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत में उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित होगी और जहां दो या अधिक अधिकारी एक ही तारीख को सारभूत् हैसियत में नियुक्त किए जाते हैं, वहीं उनकी वरिष्ठता किसी स्थानापन्न हैसियत में ऐसे पद धारण करते समय उनकी वरिष्ठता के अनुसार अवधारित होगी; और

(iii) वरिष्ठता के अवधारण के प्रयोजन के लिए तदर्थ या स्थानापन्न आधार पर की गई सेवा के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाएगा और वरिष्ठता की गणना सारभूत नियुक्ति की तारीख से की जाएगी।

7. **सेवा की अन्य शर्तें.—** ऐसे विषयों के संबंध में जिनके बारे में इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किए गए हैं या अपर्याप्त उपबंध हैं, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) और उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) की सेवा शर्तें जब तक कि केंद्रीय सरकार लिखित में किसी आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, वही होंगी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अन्य अधिकारियों जो तत्समान रैंक या प्रास्थिति धारण किए हुए हैं, के लिए समय-समय पर लागू होती हैं।

8. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.**— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

11. **अधिवर्षिता.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे।

परंतु वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. जज अटर्नी जनरल (उप-महानिरीक्षक)	02*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 क (131100–216600 रू.)।	चयन पद ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रू.) में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ, समूह 'क' में बीस वर्ष की सेवा की हो और विधि संबंधी विषयों या न्यायालय मामलों से निपटने का न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव हो तथा जिन्होंने विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

टिप्पण 1.— समूह 'क' सेवा के बीस वर्ष की आवश्यकता, सीधे नियुक्त किए गए उप जज अटॉर्नी जनरल (उप कमांडेंट) के मामले में पंद्रह वर्ष होगी। (चूंकि समूह 'क' सेवा में पांच वर्ष की कल्पित सेवा को ऐसे अधिकारियों की सेवा में, उनकी नियुक्ति की तारीख पर, जोड़ा जाता है)

टिप्पण 2.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

ऐसे व्यक्ति जो-

(i) सेना या नौसेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक का कमीशंड अधिकारी है; या

(ii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के विधि शाखा में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 क (131100-216600 रू.) में उप महानिरीक्षक या समतुल्य रैंक का कमीशंड अधिकारी है जिसने कम से कम बीस वर्ष समूह 'क' सेवा की है और जिन्हें फोर्स विधि का बीस वर्ष का अनुभव हो; या

(iii) कम से कम बीस वर्ष की अवधि से राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य है और जिला न्यायाधीश का पद या समतुल्य पद धारण करता है; या

(iv) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विधि विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -13 (123100-215 900 रू.) में अपर विधिक सलाहकार या समतुल्य है और बीस वर्ष की समूह 'क' नियमित सेवा के साथ उस श्रेणी में दो साल की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - (1) सचिव, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; (3) अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक में से एक (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) - सदस्य; (4) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; और (5) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नामनिर्देशिती - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट)	18*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700– 208700 रू.)।	लागू नहीं होता।

(6)
चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.—** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गयी है।)

(7)
अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विधि की डिग्री के साथ न्यायिक मामलों में सात वर्षों के विधि व्यवसाय का अनुभव हो या विधि में परास्नातक की डिग्री के साथ न्यायिक मामलों में पांच वर्ष के विधि व्यवसाय का अनुभव हो। **(ii)** अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हक होना चाहिए । **वांछनीय**

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य ।

(ii) सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारणों से संबंधित दो वर्ष का अनुभव।

शारीरिक मानदंड : अपेक्षित न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नानुसार है:-

(i) पुरूष के लिए:	(ii) महिला के लिए:
ऊँचाई: 165 सेंटीमीटर छाती: 81 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर) **वजन:** कद के अनुपातिक। चिकित्सा मानकों के अनुसार। दृष्टि : (चश्में सहित या उसके बिना) दूर की दृष्टि: 6/6 एक आंख से 6/9 दूसरी आंख से। नजदीक की दृष्टि : 0.6 एक आंख से और 0.8 दूसरी आंख से।	ऊँचाई: 157 सेंटीमीटर छाती: लागू नही **वजन:** कद के अनुपातिक। चिकित्सा मानकों के अनुसार। दृष्टि : (चश्में सहित या उसके बिना) दूर की दृष्टि: 6/6 एक आंख से 6/9 दूसरी आंख से। नजदीक की दृष्टि : 0.6 एक आंख से और 0.8 दूसरी आंख से।

अभ्यर्थी के पैर अंतर्जानु या सपाट या आंखों से त्रियंक नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगदृष्टि के लिए, इशाहरा परीक्षण के साथ एडरीज-ग्रीन लेनटेन परीक्षण से परीक्षण किया जाएगा। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्त्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नही होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण.— पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से भरी जा सकेंगी। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रू.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।	लागू नही होता।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (1) अतिरिक्त महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; (3) जज अटर्नी जनरल (उप-महानिरीक्षक), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; और (4) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं.1-12012/21/2016-संगठन]

पी.एस. डंगवाल, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2024

G.S.R. 284(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and Conditions of Service Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Judge Attorney General (Deputy Inspector General) and Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Judge Attorney General (Deputy Inspector General) and Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant), Group 'A' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General (Deputy Inspector General) and Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Medical Fitness.**- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

6. **Seniority.**-The seniority shall be determined in accordance with the following principles, namely :-

(i) an officer appointed in a substantive capacity shall be senior to an officer appointed in an officiating capacity ;

(ii) seniority of officers appointed to any post in a substantive capacity shall be determined in accordance with the date of appointment to that post in a substantive capacity and where two or more officers are appointed in a substantive capacity on the same date, their seniority shall be determined in accordance with their seniority while holding such posts in an officiating capacity ; and

(iii) no weightage is to be given for service rendered on adhoc or officiating basis for the purpose of determination of seniority and seniority is to be counted from the date of substantive appointment.

7. **Other conditions of Service.-** The conditions of service of the Judge Attorney General (Deputy Inspector General) and Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant), in respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made under these rules, shall, unless the Central Government, by an order in writing, otherwise directs, be the same as are applicable from time to time to other officers of the Indo-Tibetan Border Police Force holding the corresponding ranks or status.

8. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Ineligibility of non-citizens of India.-** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

11. **Superannuation.-**(1) Every person appointed under these rules, shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

12. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Judge Attorney General (Deputy Inspector General).	02* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 13 A (Rs. 131100 – 216600).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: From amongst Additional Judge Attorney General (Commandant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level-13 (Rs. 123100-215900) of the pay matrix with two years regular service in the grade, with twenty years Group 'A' service and having minimum twenty years experience in dealing with legal matters or court cases and having successfully completed the prescribed pre-promotional courses. **Note 1.**— The requirement of twenty years of Group 'A' service, in the case of directly appointed Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) shall be fifteen years. (since five years of notional service in Group 'A' is added to the service of such officers, on the date of their appointment) **Note 2.**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** A person who- (i) is a commissioned officer of the rank of Brigadier or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or (ii) is an officer of the rank of Deputy Inspector General or equivalent in level-13 A (Rs. 131100-216600) of the pay matrix in legal branch of a Central Armed Police Force with minimum twenty years Group 'A' regular service and having twenty years of experience in dealing with Force Law; or (iii) is a member of the State Judicial Service for a period not less than twenty years and holding the post of District Judge or an equivalent post; or (iv) is an Additional Legal Advisor or equivalent in Level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix, in the Legal Department of the Central Government or the State Government and having two years of regular service in the grade with twenty years of Group 'A' regular service. **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2.**— The maximum age-limit for eligibility for deputation shall not be exceeding fifty-six years on the date of receipt of application **Note 3.**— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairperson; (2) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) One of the Director General from other Central Armed Police Force(to be nominated by the Chairperson) - Member; (4) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; and (5) Nominee of Department of Personnel and Training - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant).	18* (2024) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted. Non - Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700- 208700)	Not applicable.

(6)
Not exceeding forty years (relaxable for Government servants up to the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangisub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)	
Essential : (i) Bachelor degree in Law from a recognized university or equivalent with seven years experience in legal practice or Master degree in Law with five years experience in legal practice. (ii) Should be qualified for enrolment as an Advocate. **Desirable :** (i) A post graduate degree in Law from a recognised university or equivalent (ii) Two years experience in dealing with trials under special laws related to Armed Forces	
Physical Standard: The minimum physical standard required is as under :-	
(i) For male: Height : 165 centimeters Chest : 81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded) (with minimum expansion of 5 cms) **Weight:** :Proportionate to height as per medical standards. Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye	**(ii) For female:** Height : 157 centimeters Chest Not applicable **Weight:** Proportionate to height as per medical standards. Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.
The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishihara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years in case of direct recruits.	By direct recruitment. Note.—Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government. A person who- (a) (i) is holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in level-10 (Rs. 56100-177500) of the pay matrix;	Not applicable.

		and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1-** The period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2-** The maximum age-limit for eligibility for deputation/re-employment shall be not exceeding fifty-six years as on the date of receipt of application.	

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force — Chairperson; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Judge Attorney General(Deputy Inspector General), Indo-Tibetan Border Police Force - Member; and (4) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.	Not applicable.

[F. No. I.12012/21/2016-Org.]

P.S. DANGWAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA